जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 205 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 27 मई, 2023 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

संकटग्रस्त गोल्डन मंकी (वानर की एक प्रजाति) का भविष्य सुनहरा नजर आ रहा है। इन वानरों के लिए संरक्षण प्रोग्राम बनाया गया है जो जल्दी ही कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इस पांच वर्षीय एक्शन प्लान का उद्गम डायैन फॉसी गोरिल्ला फंड के बायो डायवर्सिटी प्रोग्राम के वैज्ञानिक डिओग्रेटिअस (डिओ) टुयोसिन्जाइज़ द्वारा 2004 में शुरु की गई रिसर्च से हुआ। उनकी शोध का लक्ष्य था गोल्डन मंकी का अध्ययन व संरक्षण। असल में ये वानर सिर्फ दो जंगलों में ही मिलते हैं, विरुंगा मैसीफ और गिश्वानी-मुकुरा नैशनल पार्क। ये वानर, जो कि ब्लू मंकी की उपप्रजाति हैं, एक मात्र ऐसे वानर हैं जो कि माउन्टेन गोरिल्ला की विरुंगा आबादी के साथ रहते हैं। डॉ. डिओ ने पता लगाया कि, इनकी आबादी घट रही है, जिसका प्रमुख कारण है आवास विनाश, भोजन की कमी और शिकार। गोल्डन मंकी की भोजन, रेंज, प्रजनन के पैटर्न आदि पर वर्षों की रिसर्च के बाद डॉ. डिओ ने एक विश्वसस्तरीय टीम बनाई है और इस टीम ने आई.यू.सी.एन. की गाइडलाइन्स के अनुसार स्थानीय समुदायों को साथ लेकर गोल्डन मंकी के संरक्षण की पहली कार्य योजना बनाई है। इस समय यहां गोल्डन मंकी के दो समूह हैं। असल में ये एक ही थे पर कृषि के लिए जंगल की जमीन में हुए परिवर्तन ने इन्हें दो पृथक समूहों में बांट दिया। गोल्डन मंकी की कुल आबादी लगभग 5,000 है, पर गिश्वाती में सिर्फ 170 गोल्डन मंकी हैं। डॉ. डिओ एवं अन्य शोधकर्ता रवांडा में गोल्डन मंकी समूहों की प्रतिदिन निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने 400 से ज्यादा वानरों की पहचान की है और उन्हें नाम भी दिया है। डॉ. डिओ कहते हैं कि, यह एक्शन प्लान गोल्डन मंकी की आबादी को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है और गोल्डन मंकी के लिए जो भी खतरे हैं उन्हें खत्म करने के लिए इस योजना की बहुत ज्यादा जरुरत है।

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम आगे खिसकाया गया

यह यात्रा 28 मई को प्रस्तावित थी, पर कार्यक्रम बदलने के बाद, राहुल गांधी के अमेरिका में निश्चित कार्यक्रमों का समय व स्थानों को भी ''रीशिड्यूल'' किया जा रहा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। राहुल गांधी की अमेरिका के प्रस्तावित यात्रा, जो 28 मई को शुरु होनी थी, समझा जाता है कि आगे खिसका दी गई है तथा उनका अमेरिका का निर्धारित पुनः तय किया जा रहा है।

यह भी समझा जाता है कि राहुल गांधी अमेरिका तभी जायेंगे, जब पाँच चुनावाधीन राज्यों की मीटिंग हो जायेगी तथा चुनावी रणनीति की प्राथमिक रूपरेखा तैयार हो जायेगी। सूत्रों का कहना है कि इन मीटिंगों की नई तारीखें अभी तक तय नहीं हुई हैं किन्तु अब ये अगले सप्ताह ही होंगी।

सूत्रों ने यह भी कहा है कि नेतृत्व चाहता है कि जब मीटिंग हो, उस समय अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट के बीच शान्ति-मसौदे का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाये, जिससे उस पर काम शुरु हो जाये तथा पार्टी की राज्य इकाई अपने घर को व्यवस्थित करने का काम शुरु कर दे।

- अमेरिका रवाना होने से पहले राहुल गांधी चाहते हैं कि, जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत तक प्रस्तावित हैं, उन चुनावों के बारे में हाई कमान बैठक करके रणनीति फाइनल कर ले।
- अभी इन बैठकों की तारीख निश्चित नहीं की गयी है, पर, संभावना यह है कि, अब बैठकें अगले सप्ताह में आयोजित की जायेंगी।
- इसी संदर्भ में हाई कमान चाहता है कि, गहलोत व पायलट के बीच समझौता फाइनल हो जाये, जिससे कांग्रेस की राजस्थान इकाई चुनाव की तैयारी का काम शुरू हो सके।
- दूसरी ओर गहलोत अपने मित्रों के मार्फत किसी भी तरह का समझौता फलीभूत नहीं होने देना चाहते, पर, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि, यह इम्प्रैशन जाए कि, राजस्थान में सब कुछ ठीक है और गहलोत की चलेगी और वे राजस्थान में पार्टी में एक मात्र कर्णधार हैं।

सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत अपने वित्त-पोषित नेताओं, जो नेतृत्व के नज़दीक हैं, के जरिए किसी भी प्रकार के समझौते को बाधित करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय तक राहुल गांधी का दृढ़ निश्चय है किक राजस्थान में अब तक जैसी स्थिति नहीं चल सकती तथा गहलोत अपने तरीके चलते हुये, कांग्रेस पार्टी की नियति के एकमात्र नियन्ता नहीं बन सकते।

राहुल गांधी के सामने पासपोर्ट की समस्या थी। उन्हें अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ''सरैंडर'' करना पड़ा था तथा सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन करना पड़ा। इसके लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए वे अदालत गये थे। दरअसल, उनके खिलाफ कई केस विचाराधीन हैं। लेकिन आज अदालत ने एन.ओ.सी. दे दी, लेकिन यह 10 वर्ष, जैसा कि राहुल ने आवेदन किया था, के बजाय तीन वर्ष के लिए ही मिली है। अब उन्हें सामान्य पासपोर्ट ही जारी किया जायेगा, क्योंकि वे अब सांसद नहीं रहे हैं।

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

मध्य प्रदेश के मु.मंत्री पर एक बार फिर तलवार लटकी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर तलवार लटक रही है क्योंकि भाजपा के आंतरिक सर्वे में पता चला है कि अगर चौहान के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़े गए तो भाजपा लगभग 75 सीटें गंवा सकती है।

चौहान को हटाने की चर्चा इससे पहले जनवरी में चली थी, पर आर.एस.एस. के समर्थन की वजह से, उन्हें जीवनदान मिल गया था। इसके बाद चौहान ने राज्य में विकास यात्रा शुरु की, पर वे पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाए। चौहान को हटाने की चर्चा अब फिर से होने लगी है क्योंकि सर्वे में पता चला है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी पार्टी के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है।

अटकलें है कि मध्य प्रदेश भाजपा में जल्दी ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा को भी हटाया जा सकता है। भाजपा नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है और यह पार्टी की रणनीति है, भावी विधानसभा चुनाव में स्थिति सुधारने के लिए।

मध्य प्रदेश में भाजपा में भारी गुटबाजी है। यहां ज्योतिरादित्य के समर्थन व विरोधी गुटों में जोरदार जंग छिड़ी हुई है। आशंका है कि पार्टी नेतृत्व सिंधिया को मुख्यमंत्री बना सकता है। प्रदेश भाजपा के कुछ गुट इन अटकलों को बढ़ावा दे रहे है कि सिंधिया भाजपा में नाखुश हैं और उनकी कांग्रेस में वापसी की संभावना है। गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि भाजपा सांसद के.पी. यादव ने तो हाल ही में सार्वजनिक रूप से सिंधिया के खिलाफ कटु शब्दों का

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- दोबारा उनको हटाने की चर्चा ने इसलिये जोर पकड़ा, क्योंकि नवीनतम सर्वे के अनुसार भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में 75 सीटों का नुकसान होगा, अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया।
- चौहान को हटाने की अफवाह जनवरी में भी उठी थी, पर आर.एस.एस. के समर्थन के कारण, उनकी कुर्सी बच गयी थी।
- कर्नाटक की भांति मध्य प्रदेश में भी एन्टी इन्कमबैंसी का असर जोरों पर है।
- मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी हटाये जा सकते हैं, पार्टी में आमूल परिवर्तन का नारा देकर।
- आदिवासी नेता व सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को नया मु.मंत्री बनाये जाने के संकेत हैं, उन्हें संघ का भी पूरा समर्थन प्राप्त है।

75 रूपए का सिक्का

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नये संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रू. का सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री उस दिन नये संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सिक्के के अग्र पृष्ठ के बीचों बीच ''अशोक स्तम्भ का शेर बना होगा'' तथा उसके नीचे ''सत्यमेव जयते'' उत्कीर्ण होगा। अशोक स्तम्भ के बायीं तरफ देवनागरी लिपि में

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- वित्त मंत्रालय ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नई संसद के उद्घाटन की स्मृति में यह सिक्का जारी करेंगे।

भंवर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ अब जमानती वारंट

बूंदी, 26 मई (निसं)। बूंदी राज परिवार की संपत्ति मामले में फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेन्द्र सिंह एवं अन्य को अब जमानती वॉरंट से तलब किया जाएगा।

- ए.आई.सी.सी. के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ, बूंदी राज परिवार के सम्पत्ति विवाद में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में पहले चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानती वारंट में बदल दिया है।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा इस मामले में जारी गैर जमानती वॉरंट को जमानती वॉरंट में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली निवासी अविनाश

(शेष पृष्ठ 5 पर)

राहुल गांधी को अब नया पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति मिली

दिल्ली के न्यायालय ने इजाज़त देते हुए, यह शर्त भी लगायी कि, पासपोर्ट तीन साल के लिये ही मान्य होगा, न कि दस साल के लिये, जैसे आम तौर पर होता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। दिल्ली की एक अदालत ने आज राहुल गांधी को तीन साल के लिए रेग्यूलर पासपोर्ट बनवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी तथा इस प्रकार, उनके लिये 30 मई को अमेरिका के तीन शहरों में छः दिन के लिये जाने का रास्ता साफ हो गया। ज्ञातव्य है कि संसद से डिसक्वालिफाइड होने के बाद एक सांसद के रूप में उनके विशेषाधिकार समाप्त हो गये हैं। सांसद के रूप में अपनी डिसक्वालिफिकेशन के बाद, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ''सरैन्डर'' कर दिया था तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट-एन.ओ.सी.) के लिये अदालत में अर्जी लगाई थी।

जज ने गांधी के वकील से कहा, ''मैं आपके प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकृति दे रहा हूँ। 10 वर्ष के लिये नहीं, सिर्फ तीन वर्ष के लिये।''

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को अदालत की स्वीकृति की जरूरत इसलिये थी क्योंकि नैशनल हैरल्ड केस में अन्य लोगों के साथ वे भी आरोपी हैं। ज्ञातव्य है कि यह केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मनी लॉन्डरिंग तथा फंड्स के दुरूपयोग उनकी लिप्तता के सिलसिले में लगाया था। अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद स्वामी से बुधवार को कहा था कि वे ए.ओ.सी. मांगने के गांधी के अनुरोध के संबंध में अपना जवाब शुक्रवार तक प्रस्तुत करें।

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- राहुल गांधी को पासपोर्ट पाने के लिये न्यायालय से अनुमति लेने की जरूरत इसलिये पड़ी, क्योंकि, वे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ नैशनल हैरल्ड मुकदमे में आरोपित हैं। जैसा कि विदित ही है, भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नैशनल हैरल्ड पर मुकदमा दायर किया था। इस केस में फिलहाल राहुल जमानत पर रिहा हैं।
- न्यायाधीश वैभव मेहता ने राहुल गांधी को इजाज़त देते हुए, यह टिप्पणी भी की कि, 2015 में राहुल गांधी को जमानत देते हुए कोई भी शर्त नहीं लगायी गई थी और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर पाबंदियाँ लगाने की मांग की थी, को अस्वीकार कर दिया था।

न्यायपालिका के लिए केन्द्रीय योजना

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। न्यायपालिका के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने के लिए केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय को सैन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम (सी.एस.एस.) स्थापना के बाद से ही जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित कर रही है। न्यायालय के भवनों, डिजिटल कम्पयूटर कक्षों, वकीलों के सभा कक्षों, शौचालय परिसर तथा न्यायिक

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ''केन्द्र प्रायोजित स्कीम'' घोषित की गई है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कॉमर्शियल कोर्ट से 100 करोड़ रू. की राहत मिली

न्यायालय ने आर्ब्रिट्रेटर द्वारा दिए गए फैसले को रद्द किया, जिसमें निगम को मैसर्स आशापुरा के पक्ष में 103 करोड़ रूपये जमा कराने का आदेश दिया गया था

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 26 मई। जयपुर महानगर के कॉमर्शियल कोर्ट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) और मैसर्स आशापुरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड के बीच 103 करोड़ रूपये के चल रहे विवाद पर सुनवाई कर आदेश पारित किए हैं। अदालत ने आर.एस.आर.टी.सी. के पक्ष में फैसला दिया है और साथ ही निगम के विरूद्ध आर्बिट्रेटर द्वारा पारित निर्णय रद्द कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में आर्बिट्रेटर ने यह फैसला सुनाया था कि आर.एस.आर.टी.सी. मैसर्स आशापुरा को 83,89,24,508/- रूपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से भुगतान करें।

मामले के अनुसार वर्ष 2014 में आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा पार्सल सर्विस शुरू करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा के तहत मैसर्स आशापुरा को पार्सल सर्विस शुरू करने के लिए चुना गया था और 29 सितम्बर 2014 को 'वर्क ऑर्डर' भी दे दिया गया था।

परन्तु मैसर्स आशापुरा द्वारा कहा गया कि उसे सेवा प्रदान करने में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान उठाना पड़ा। यह मामला 2016 में आर्बीट्रेटर के समक्ष पहुंचा, जहां मैसर्स आशापुरा की ओर से कहा गया कि तीन साल के उनके आर.एस.आर.टी.सी. के साथ अनुबंध के दौरान उसे 76 करोड़ 33 लाख रूपये से भी अधिक का फायदा होना चाहिए था, परन्तु उसे सितम्बर 2014 से फरवरी 2016 के बीच केवल 4 करोड़ 16 लाख रू. की आय हुई और उसके करीब 7 करोड़ 55 लाख रू. का नुकसान उठाया।

मैसर्स आशापुरा ने आर्बिट्रेटर के समक्ष यह भी कहा कि उसे तीन वर्ष में पार्सल डिलेवर करने के लिए 10,717 बस यात्राओं की सेवा मिलनी चाहिए थी। यहाँ गौर फरमाने की बात यह है कि आर.एस.आर.टी.सी. और आशापुरा के बीच अनुबंध रद्द करने के लिए करीब डेढ़ साल के भीतर ही ऑर्बिट्रेशन के लिए पहुंच गया। दूसरी ओर आर.एस.आर.टी.सी. और मैसर्स आशापुरा के बीच हुए अनुबंध में यह कहीं नहीं कहा गया था कि पार्सल सेवा के कारण उठाये गए नुकसान की भरपाई आर.एस.आर.टी.सी. ही करेगी। कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अमित कुमार कड़वासा ने अपने आदेश के पेज नम्बर 47 में कहा है कि ''व्यापारिक संविदाऐं लाभ के निमित होती है परन्तु इनमें जोखिम सदा अन्तर्निहित रहता है। लाभ की प्रत्याशा में की गई संविदा से हर हाल में न्यूनतम

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- मैसर्स आशापुरा ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से पार्सल लाने और डिलीवरी करने का ठेका लिया था।
- मैसर्स आशापुरा ने पार्सल सर्विस का ठेका उठाने के बाद यह विवाद उठाया था कि, निगम की अव्यवस्थाओं के कारण वह ठेके की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था और उसे 7 करोड़ 55 लाख रू. का नुकसान भी उठाना पड़ा था, जिसकी भरपाई के लिए उसने 103 करोड़ रू. का दावा किया था। इस दावे को सही मानते हुए आर्बिट्रेटर ने अपना ''अवॉर्ड'' सुनाया था।

नई संसद के उद्घाटन पर ''फ्लोर टैस्ट'', भाजपा का पलड़ा भारी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को होने जा रहे नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले राजनैतिक

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- नई संसद के उद्घाटन में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या बढ़ कर 25 हो गई है। कुछ दलों ने अंतिम क्षणों में सहमति देकर सरप्राइज़ किया, उद्घाटन का बायकॉट करने वाली पार्टियों की संख्या भी 19 से बढ़ कर 21 हो गई है।